



Neutral Citation No. - 2026:AHC:52148

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 1051/2026

मोती लाल यादव

.....याची

बनाम

राजस्व परिषद एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याची के अधिवक्ता : सुरेंद्र प्रताप सिंह

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, अपर शासकीय अधिवक्ता (सी.एस.सी.)

न्यायालय संख्या - 55

माननीय चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति

- याची के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेंद्र प्रताप सिंह, राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री आर.सी. श्रीवास्तव और प्रत्यर्थी-ग्राम पंचायत की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी को सुना।
- वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित तथ्यों के लिए दायर की गई है:-
"1. परमादेश की एक रिट जारी करें, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 को याची द्वारा दायर स्थगन आवेदन और निगरानी संख्या 4694/2024 (मोती लाल यादव बनाम देवकी नंदन सिंह एवं अन्य) को तय करने का निर्देश दिया जाए, जो नवंबर 2024 से लंबित है।
- परमादेश की एक रिट जारी करें, जिसमें प्रत्यर्थियों को निर्देश दिया जाए कि वे याची के कब्जे में बाधा न डालें और प्रश्नगत भूमि पर याची द्वारा बनाई गई बाउंड्री के साथ-साथ निर्माण को भी न ढहाएं।"
- याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि 4.6.2023 को जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त करने के बाद, अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित दर्ज खातेदार द्वारा 1.7.2023 को याची के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी संख्या 3 ने एक शिकायत दर्ज की और याची को बिना किसी नोटिस/अवसर दिए, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 104/105 के तहत कार्यवाही में प्रश्नगत संपत्ति राज्य में निहित कर दी गई है। उन्होंने तर्क दिया कि याची की ओर से दायर पुनरुद्धार (रेस्टोरेशन) आवेदन को मनमाने ढंग से खारिज कर दिया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि विक्रेता/प्रत्यर्थी संख्या 4-छोटे लाल ने प्रश्नगत विक्रय विलेख के संबंध में कोई कार्यवाही शुरू नहीं की है। उन्होंने तर्क दिया कि याची की ओर से दिनांक 21.10.2024 और 14.11.2023 के आदेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के तहत स्थगन आवेदन के साथ निगरानी दायर की गई है जो लंबित है। उन्होंने तर्क दिया कि अधिकारी याची के कब्जे में हस्तक्षेप कर रहे हैं, अतः लंबित निगरानी के शीघ्र निस्तारण के

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



लिए उचित निर्देश जारी किए जाएं और निगरानी के लंबित रहने तक याची के पक्ष में अंतरिम सुरक्षा प्रदान की जाए।

5. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता और प्रत्यर्थी-ग्राम पंचायत के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इस मामले में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि याची द्वारा दायर स्थगन आवेदन के साथ निगरानी 2023 से राजस्व परिषद के समक्ष लंबित है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के तहत निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया गया था, अतः प्रश्नगत संपत्ति को राज्य के पक्ष में निहित करने में कोई अवैधता नहीं है।
6. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया है।
7. इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि संहिता और उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करने के बाद याची के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया गया था। इस तथ्य के बारे में भी कोई विवाद नहीं है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 की शिकायत के आधार पर संपत्ति राज्य में निहित कर दी गई है और याची द्वारा दायर निगरानी राजस्व परिषद के समक्ष लंबित है।
8. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विक्रेता/प्रत्यर्थी संख्या 4-छोटे लाल द्वारा जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त की गई थी और उसके बाद याची के पक्ष में विक्रय विलेख निष्पादित किया गया था, इसलिए न्याय के हित में यह उचित होगा कि निगरानी न्यायालय द्वारा विवाद का न्यायनिर्णयन उचित तरीके से शीघ्र किया जाए और निगरानी के निस्तारण तक याची के हितों की रक्षा की जाए।
9. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान रिट याचिका को निस्तारित किया जाता है, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1/राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को निर्देशित किया जाता है कि वह कानून के अनुसार पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिमानतः 3 महीने की अवधि के भीतर उक्त निगरानी को यथारुम्भ शीघ्र तय करे। यह आगे निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निगरानी के निस्तारण तक, उप-जिला अधिकारी, पिण्डरा, वाराणसी द्वारा वाद संख्या 10949/2022 में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 104/105 के तहत पारित आदेश दिनांक 14.11.2023 का प्रभाव और प्रवर्तन स्थगित रहेगा।

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

16 मार्च, 2026

सी. प्रकाश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"